ई-मेल/समयबद्ध

संख्या- 1883 /आठ-9-2024

प्रेषक,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

3. **सक्षम प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2024**

विषयः प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र क्षेत्रान्तर्गत स्थित भवनों के बेसमेंट निर्माण/संचालन संबंधी कार्यों के संबंध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित एक कोंचिग संस्थान के बेसमेंट कार्यालय में जलभराव से घटित जनहानि सम्बन्धी दुर्घटना के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानी एवं सुरक्षा सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नवत् बिन्दुओं के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

(क) अपने से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत स्थित निर्माणों के बेसमेंट में खासतौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में सघन जॉच हेतु अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं जोनल अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जॉच व निगरानी के साथ यथावश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। बेसमेंट में प्रयोजन स्वीकृत मानदण्डों तथा मानचित्र अनुसार होना भी सुनिश्चित किया जाय।

(ख) ऐसे निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जहां बिना मानचित्र स्वीकृति के अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट निर्मित हैं।

(ग) ऐसे स्थल/निर्माण जहॉ बेसमेंट हेतु मानचित्र स्वीकृत हैं, वहॉ यह सुनिश्चित किया जाय कि मानसून में खुदाई न की जाय।

(घ) यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुदाई किया जाना आवश्यक हो, तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाय, जिससे वहॉ निवासित व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों अथवा अन्य को किसी प्रकार की जान–माल का खतरा उत्पन्न न हो।

(ड) मानसून उपरान्त भी यदि खुदाई की जाती है, तो ऐसे स्थलों पर सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाय, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके, यदि किसी प्रकार की घटना घटित होती है, तो उसका

उत्तरदायित्व निरीक्षण हेतु गठित दल, प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं समस्त विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी का होगा।

(च) समस्त प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र द्वारा उपरोक्त पर कृत कार्यवाही का विवरण सूची सहित शासन को तीन कार्यदिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त।
5. समस्त जिलाधिकारी।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।